


3

डापा 12

पत्रावली फेर हुई। वकील पार्की उपस्थित।  
 वकील पार्की की बसत को खुला गया। वकील  
 पार्की ने साक्षीना पत्र के मलम सं. 2 में वर्णित  
 बाह्यरूप आराजियात ग्राम डेवरी खाला संख्या 228  
 में वर्णित आराजी नम्बर 803 रकबा 0.9110 हे. व खाला  
 संख्या 352 में वर्णित आराजी फिला - 4 कुल रकबा  
 1.2270 हे, खाला संख्या 239 में वर्णित आराजी  
 फिला - 5 कुल रकबा 1.3790 हे भूमि व ग्राम  
 पीराना के खाला सं. 201 में वर्णित आराजी फिला  
 2 कुल रकबा 2.4910 हे। भूमि स्थित है जिसमें  
 प्राकृषिण का एक हिस्सा बना है तथा प्राकृषिण  
 का उपरोक्त खालों में वर्णित आराजियात में एक  
 हिस्सा की घोषणा करने का अधिकार है।  
 अतः प्राकृषिण का साक्षीना पत्र प्रतीकार किया  
 जाता है तथा उक्त खालों में वर्णित बाह्यरूप  
 आराजियात की भौका एवं देकाटि की प्रमास्थिति  
 किये शक्य है। साक्षीना पत्र के मलम संख्या 2 में  
 वर्णित बाह्यरूप आराजियात का इशतान्तरण  
 नहीं करे। इस हेतु सिपडरीगल को अवधानी  
 निषेधाज्ञा से मूल बाह के निरन्तरण तक  
 पाबंद किया जाता है। पत्रावली के रकबा  
 शुमार लेकर नम्बर से कम हो।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बंगला